मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्र./ एफ 9-2/2006 /17/मेडि - 3 भोपाल दिनांक 01/02/2006
20/02/2006

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म0 प्र0
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म0 प्र0
5. समस्त जिलाध्यक्ष, म0 प्र0

विषयः— राज्य शासन कर्मचारियों को राज्य के भीतर गठित प्रायवेट चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 31/12/2005 को सचिव, लोक स्वास्थ्य की अध्यक्षता में राज्य शासन के कर्मचारियों को राज्य के अन्दर प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दिये जाने हेतु संभाग स्तर पर कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। समिति में निम्नानुसार अधिकारीगण रहेंगे :-

1.	संभागीय आयुक्त	—	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय अथवा विभागाध्यक्ष स्तर के अन्य प्रतिनिधि	—	सदस्य
3.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	—	सदस्य
4.	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	—	सदस्य
5.	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	—	सदस्य

उक्त समिति निम्नानुसार उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार कार्य करेगी :-

1. चंबल संभाग के प्रकरणों का निराकरण ग्वालियर संभाग में आयोजित गठित समिति द्वारा किया जावेगा व भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के प्रकरणों का निराकरण भोपाल संभाग में आयोजित गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
2. राज्य स्तरीय समिति में उन प्रकरणों में विचार किया जावेगा, जिसमें संभाग स्तरीय समिति को किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई मार्गदर्शन अथवा अभिमत चाहा गया हो।

राज्य शासन मुख्यालय स्तर की बैठक तथा संभाग स्तरीय बैठक प्रत्येक माह की एक व दस तारीख के बीच अनिवार्यतः की जावेगी तथा इस बैठक में अद्यतन सभी प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।

यदि कोई उपचार बिना आकस्मिकता के अथवा बिना सक्षम स्तर से रेफरल के बिना कराया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जावेगा व प्रथम दृष्टया ऐसे प्रकरणों को अमान्य किया जावेगा।

संभाग स्तर पर शासकीय कर्मचारियों के द्वारा निजी संस्थाओं में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति की बैठकों का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह संभाग स्तरीय समितियां संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को भेजेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

प्रमुख सचिव 10.2.06
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्र0/एफ 9-2/2006/17/मेडि-3 भोपाल दिनांक: 01/02/2006
28/02/2006

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) (आडिट), म0 प्र0 ग्वालियर।
2. संचालक चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म0 प्र0 भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0 प्र0।
4. संयुक्त संचालक (एम0 आर0), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म0 प्र0 भोपाल।
5. समस्त क्षैत्रीय संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण एवं विधि), म0 प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0 प्र0।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0 प्र0।
8. लेखा शाखा, मंत्रालय भोपाल।

20/2/06

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय